धारा 130 : माल या वाहन की जब्ती और शास्ति का उद्ग्रहण

(1) [1][जहां] व्यक्ति–

(i) कर संदाय के अपवंचन के आशय से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन में माल की पूर्ति या उसे प्राप्त करता है; या

(ii) किसी ऐसे माल का हिसाब नहीं देता है जिस पर वह इस अधिनियम के अधीन कर संदाय के लिए दायी है; या

(iii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए बिना इस अधिनियम के अधीन कर योग्य किसी माल की पूर्ति करता है; या

(iv) कर संदाय के अपवंचन के आशय से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है; या

(v) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में माल के परिवहन के लिए किसी वाहन का प्रयोग करता है, जब तक कि वाहन का मालिक यह सिद्ध न कर दे कि उसका या उसके अभिकर्ता की बिना जानकारी या मौन सहमति के यह कार्य हुआ,

तब ऐसा सभी माल या वाहन जब्ती के लिए दायी होगा और वह व्यक्ति धारा 122 के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) जब कभी किसी माल या वाहन की जब्ती इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है, तब उसका न्यायनिर्णयन करने वाला अधिकारी माल के स्वामी को जब्ती के स्थान पर ऐसा जुर्माना, जो उक्त अधिकारी ठीक समझे, संदाय करने का विकल्प देगा :

परन्तु ऐसा उद्ग्रहणीय जुर्माना जब्त माल पर प्रभारित कर की रकम को घटाने के पश्चात्, प्राप्त हुए उसके बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऐसा जुर्माना और उद्ग्रहणीय शास्ति [2][ऐसे माल पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति] से कम नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि जहां माल को ढ़ोने या भाड़े पर यात्रियों को ढोने में किसी वाहन का प्रयोग किया जाता है वहां ऐसे वाहन के मालिक को वाहन की जब्ती के स्थान पर उसमें ढोए गए माल पर संदेय कर के बराबर जुर्माना संदेय करने का विकल्प दिया जाएगा।

(3) [3][.....]

(4) माल या वाहन की जब्ती या शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना जारी नहीं किया जाएगा।

---

1 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा ''इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा ''धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

3 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा उपधारा (3) विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

''(3) जहां उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित माल या वाहन की जब्ती के स्थान पर कोई जुर्माना अधिरोपित किया जाता है, वहां ऐसे माल या वाहन का स्वामी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति इसके अतिरिक्त किसी ऐसे माल या वाहन की बाबत शास्ति और शोध्य प्रभारों के लिए दायी होगा।''

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी माल या वाहन को जब्त कर लिया जाता है वहां ऐसे माल या वाहन का स्वामित्व सरकार में निहित हो जाएगा।

(6) जब्ती का न्यायनिर्णयन करने वाला समुचित अधिकारी जब्त वस्तुओं का कब्जा लेगा और उन्हें धारित करेगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी ऐसे समुचित अधिकारी की अध्यपेक्षा पर ऐसा कब्जा लेने और धारण करने में उसकी सहायता करेगा।

(7) समुचित अधिकारी स्वयं का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जब्त माल या वाहन इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में अपेक्षित नहीं है और जब्ती के बदले जुर्माना देने के लिए तीन मास से अनधिक का युक्तियुक्त समय देने के पश्चात् ऐसे माल या वाहन का निस्तारण करेगा और उसके विक्रय आगमों को सरकार के पास जमा करेगा।